राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U) / Plantation / 2024–25 / 10271-10545 दिनांकः 12/07/2024

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महा अभियान में पौधों की सुरक्षा एवं संधारण के संबंध में।

प्रसंगः–मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान का यू. ओ. नोट क्रमांक एफ9(3)वन / 2024–07539 दिनांक 02.07.2024

संदर्भः–राज्य के नगरीय क्षेत्रों में सघन पौधारोपण कार्यक्रम हेतु आरयूआईडीपी में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण क्रमांक 10240 दिनांक 08.07.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय आदेशों द्वारा मानसून 2024 में नगरीय निकाय क्षेत्रों में 67.00 लाख पौधे लगाये जाने के लक्ष्य निर्धारित करते हुए उपयुक्त स्थल चयन कर, सुरक्षा (फेन्सिंग / बाड़) व पौधों के सतत् संधारण बाबत् आवश्यक व्यवस्था करते हुए सघन वन क्षेत्र विकसित करने हेतु पूर्व में विभागीय आदेशों द्वारा आपको निर्देशित किया जा चुका है।

मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान के प्रासंगिक यू. ओ. नोट द्वारा नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पालिका क्षेत्रों में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महा अभियान में लगाये गये पौधों की सुरक्षा एवं संधारण के संबंध में वन विभाग से सहयोग प्राप्त करते हुए कार्य योजना तैयार कर पौधों के 05 वर्ष तक संधारण एवं सुरक्षा हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी पालना निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

निकायों द्वारा पौधारोपण के प्रस्तावों में बढ़ोतरी हेतु निकाय क्षेत्रों में स्थित एस.टी.पी. / एफ.एस.टी.पी. प्लांट एवं ठोस कचरा प्रबंधन साइट्स का चयन किया जा सकता है। यह स्थल इस दृष्टि से उपयुक्त है कि यहां मियावाकी पद्धति से सघन वन क्षेत्र विकसित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा, जलापूर्ति तथा देखभाल हेतु कार्मिक की व्यवस्था सरलता से की जा सकती है। इस संबंध में दिनांक 08.07.2024 को आयोजित बैठक में राज्य के समस्त निकायों में संचालित / निर्माणाधीन एस.टी.पी. प्लांट्स के संचालक / संवेदक द्वारा नगरीय निकायों से समन्वय कर सघन वनीकरण करवाने का निर्णय लिया गया है (बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न)। इस हेतु निकाय द्वारा वन विभाग के माध्यम से पौधे प्राप्त कर पौधारोपण स्थल पर उपलब्ध करवाया जाना है।

अतः उक्तानुसार निकाय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों अनुरूप वृक्षारोपण / वनीकरण कार्य क्रियान्वित कर पौधों के संधारण एवं सुरक्षा हेतु प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U) / Plantation / 2024–25 / 10546-10615 दिनांक : 12/07/2024

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के डायरी नम्बर 7925 दिनांक 04.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ ।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (IRGY)

RajKaj Ref
8879455

Document certified by SURESH KUMAR OLA <sureshola5788@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh Kumar Ola
Designation : Director
Date :12-07-2024 10:04:04